

जोखिम प्रबंधन नीति Enterprise Risk Management Policy

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड / BHARAT ELECTRONICS LIMITED

1.0 जोखिम प्रबंधन नीति कथन / Risk Management Policy Statement

1.1 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कंपनी के कारोबार से संबंधित विद्यमान तथा संभावित जोखिमों को अभिचिहिनत करने, मूल्यांकित करने, उनकी प्राथमिकता तय करने तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिए सतत रूप से प्रयास करेगी।

Bharat Electronics Limited (BEL) will strive continuously to identify, evaluate, prioritize and mitigate existing as well as potential risks related to the business of the Company.

2.0 जोखिम प्रबंधन का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

Scope and Objectives of Enterprise Risk Management

2.1 कार्यक्षेत्र / Scope:

प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तनों, कारोबारी परिदृश्य में हो रहे परिवर्तनों, सरकारी नीतियों और विनियामक ढांचे में परिवर्नत, भू-राजनैतिक तथा वैश्विक आपूर्ति श्रंखला को प्रभावित करने वाली घटनाओं के कारण बीईएल को जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

BEL is exposed to risks due to rapid changes in technology; changes in business environment; government policies and regulatory framework; geo politics and events affecting global supply chain.

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के कार्यक्षेत्र में कंपनी की सभी कारोबारी यूनिटों और कार्यशील क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

The scope of the Enterprise Risk Management (ERM) covers all the business units and functional areas of the company.

2.2 उद्देश्य / Objectives:

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) का उद्देश्य कंपनी के कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिमों को कम करने के कारगर उपाय लागू करने हेतु अपने पणधारकों के बीच जोखिम की सामान्य समझ पैदा करना है।

Objectives of Enterprise Risk Management (ERM) is to facilitate a common understanding of the risks among the stakeholders to deploy effective mitigation measures to meet the Company's business goals.

2.3 अभिचिहिनत प्रशामन उपायों को कंपनी की कारोबारी कार्य-प्रणालियों में समुचित रूप से अंत:स्थापित किया जाएगा।

The mitigation measures identified shall be embedded suitably into the business processes of the Company.

3.0 जोखिम प्रबंधन पहलों के क्षेत्र / Areas for Risk Management Initiatives

- 3.1 बीईएल ने इनसे संबंधित निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को अभिचिहिनत किया है-BEL has identified the following major areas of risks related to:
 - (i) प्रौदयोगिकी / Technology
 - (ii) बाज़ार / Market
 - (iii) उत्पाद / Product
 - (iv) मानव संसाधन / Human Resources
 - (v) वित्त / Finance
 - (vi) उद्यम / Enterprise
 - (vii) प्रचालन / Operations
 - (viii) सायबर स्रक्षा / Cyber Security
 - (ix) पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) Environmental, Social and Governance (ESG)
 - (x) अन्य / Others

4.0 जोखिम प्रबंधन की कार्यप्रणाली / Methodology for Risk Management

4.1 किसी भी कारोबारी परिचालन में जोखिम अवश्य होता है। ऐसे जोखिमों की पहचान, आकलन, प्राथमिकता तय करने और व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है जो विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों से संबंधित होते हैं। प्रशमन उपायों को अंतिम रूप दिए जाने और कंपनी द्वारा अनुसरित कारोबारी प्रक्रियाओं और पद्धतियों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

Any business operation is susceptible to risks. The risks that emerge due to various internal and external factors needs to be identified, evaluated, prioritized and managed. Mitigation measures need to be finalized and incorporated in the business processes and practices followed by the Company.

4.2 इसके अतिरिक्त, विभिन्न कारोबारी प्रक्रियाओं में पहले से शामिल किए गए प्रशमन उपाय की पर्याप्तता के सत्यापन के लिए वर्ष में एक बार समीक्षा की जाएगी।

Further, the mitigation measures already incorporated in various business processes will be reviewed once in a year, for verification of sufficiency.

5.0 जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया / Risk Management Process

5.1 जोखिम प्रबंधन (आरएम) की कार्यप्रणाली / Methodology for Risk Management (RM)

प्रस्तावना /Introduction

जोखिम प्रबंधन (आरएम) प्रक्रिया को बीईएल की रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया के केंद्र बिंदु के रूप में पहचाना जाता है। यह निरंतर और विकासशील प्रक्रिया है जिसमें संगठन की रणनीति और उस रणनीति का कार्यान्वयन शामिल होता है। आंतरिक और बाहरी कारकों से जनित बीईएल के सभी प्रकार्यों को शामिल करते हुए यह क्रमबद्ध रूप से सभी जोखिमों को दूर करेगी।

Risk Management (RM) process is identified as the central part of BEL's strategic management process. It is a continuous and developing process, which encompasses the organization's strategy and implementation of that strategy. It will address systematically all the risks, covering all functions of BEL arising out of internal and external factors.

5.1.1 किसी संभावित जोखिम से निपटने के लिए जोखिम प्रशमन दृष्टिकोण हैं-Risk Mitigation approaches to manage a potential risk are: रोकना - वित्तीय हानि और क्षति दोनों के लिए उच्च संभावित प्रभाव वाले जोखिमों को रोकना।

Avoid: Avoid risks that involve a high probability and impact for both financial loss and damage.

अंतरण — ऐसे जोखिम जिनकी कम संभाव्यता है परंतु जिनका बृहद वित्तीय प्रभाव होगा को साझा या अंतरित करते हुए कम किया जा सकता है जैसे बीमा खरीद, साझेदारी करना या बाहयस्रोतण।

Transfer: Risks that may have a low probability for taking place but would have a large financial impact to be mitigated by being shared or transferred, e.g. by purchasing insurance, forming a partnership, or outsourcing.

स्वीकार करना — ऐसे जोखिम जिन्हें कम करने के व्यय ऐसे जोखिम को वहन करने की लागत से अधिक होते हैं, को स्वीकार किया जाए और उसकी सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए।

Accept: Risks, where the expenses involved in mitigating the risk is more than the cost of tolerating the risk should be accepted and carefully monitored.

सीमित करना — अनुमानित जोखिम कम करने और उनके प्रभाव को विनियमित करने के लिए जोखिम परिसीमन पर विचार किया जाए। जोखिम परिसीमन में सामान्यतः कुछ जोखिम स्वीकृति और कुछ जोखिम निवारण किया जाता है।

Limit: Risk limitation, to be considered to address a perceived risk and regulate their exposure. Risk limitation usually employs some risk acceptance and some risk avoidance.

5.1.2जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाएगा-The following steps to be followed for the RM process:

- जोखिम का आंकलन- (i) जोखिम अभिचिहनन (ii) जोखिम विवरण (iii) जोखिम प्राक्कलन (iv) जोखिम आंकलन
 - Risk assessment: (i) Risk identification (ii) Risk description (iii) Risk estimation (iv) Risk evaluation
- जोखिम की रिपोर्टिंग- अभिचिहिनत जोखिम से जुड़े खतरे और अवसर। Risk reporting: Threats and opportunities associated with risk identified.

• निर्णय-जोखिम प्रशमन उपायों के लिए इसके प्रभाव तथा संबंधित लागतों को ध्यान में रखते हुए, जोखिम उपचार किया जाए अथवा नहीं।

Decision: Whether to take up the risk treatment or not, keeping in view the impact and associated costs for risk mitigation measures.

• जोखिम उपचार- जोखिम प्रशमन के लिए अभिचिहिनत उपाय, प्रशमन उपायों की प्रभावशीलता के लिए अभिचिहिनत परिमापियाँ, संगठन में जोखिम स्वामियों की पहचान करना, जोखिम की स्वीकार्य सीमाएँ तथा विफलता की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया।

Risk treatment: Measures identified for risk mitigation, parameters identified for monitoring the effectiveness of mitigation measures, identification of risk owners in the organization, acceptable limits of risk and process for failure reporting.

 अविशष्ट जोखिम रिपोर्टिंग - जोखिम प्रशमन उपाय कार्यान्वित किए जाने के बाद अविशष्ट जोखिम रिपोर्टिंग की व्यवस्था।

Residual risk reporting: Mechanism of residual risk reporting after risk mitigation measures are implemented.

• निगरानी एवं समीक्षा-जोखिम कार्यान्वयन संबंधी उपायों की निगरानी तथा इन उपायों की प्रभावशीलता के लिए अभिचिहिनत परिमापियों के संबंध में समीक्षा।

Monitoring and review: Monitoring of the risk implementation measures and review with respect to parameters identified for effectiveness of these measures.

5.2 जोखिम आंकलन / Risk Assessment

5.2.1 जोखिम का अभिचिहनन / Risk Identification

5.2.2 जोखिम प्रबंधन में पहला कदम संगठनात्मक प्रक्रियाओं तथा जोखिमों के मुख्य ड्राइवर के आधार पर जोखिम अभिचिहनन है। मुख्य ड्राइवरों को नीचे तालिका में दिए गए अनुसार (उदाहरण के रूप में) वर्गीकृत किया जा सकता है-

The first step in risk assessment is risk identification based on the organizational processes and the key drivers of the risks. The indicative key drivers can be categorized as given below in table:

तालिका 1-मुख्य ड्राइवर या जोखिमों के कारकों का उदाहरण Table 1 - Indicative Key Drivers or Factors for Risks

जोखिम का प्रकार Type of Risk	आंतरिक ड्राइवर के कारण Due to Internal Drivers	बाहरी ड्राइवर के कारण Due to External Drivers	आंतरिक और बाहरी ड्राइवर दोनों के कारण Due to both Internal & External Drivers
प्रचालनात्मक जोखिम Operational Risks	- सूचना / ईआरपी Information/ERP Systems - संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery - सामग्री / घटक Material/Components	- विनियमन / Regulations - विक्रेता / साझेदार Vendors/Partners - पर्यावरणीय जोखिम Environmental Risks	- आपूर्ति कड़ी Supply Chain - बिजली और जल आपूर्ति Power & Water supply - हड़ताल, बंद आदि Strikes, Bandhs etc
प्रोद्योगिकीय जोखिम Technological Risks	 प्रोद्योगिकी का चयन Selection of Technology प्रौद्योगिकी का विकास / अधिग्रहण Development/Acquisit ion of Technology प्रौद्योगिकी की तैनाती Deployment of technology 	- विघटनकारी प्रद्योगिकी Disruptive Technologies - प्रौद्योगिकी अप्रचलन Technology obsolescence	- विनियामक रूपरेखा/ अनुपालन Regulatory framework/compliance - आईपी अधिकारी / सुरक्षा IP rights/protection - प्रौद्योगिकी अंतर Technology Gap
उत्पाद जोखिम Product Risks	 टाइम टू मार्केट Time to Market (TTM) गुणता / Quality विश्वसनीयता / Reliability उत्पाद विविधीकरण / Product diversification 	- उत्पाद दायित्व / Product liability - अनुपालन एवं विनियम Compliance and regulations - मांग जोखिम / Demand Risk - कीमत जोखिम / Price Risk	- ग्राहक अनुभव / Customer experience - प्रतिष्ठा / Reputation

जोखिम का प्रकार Type of Risk बाज़ार जोखिम Market Risks	आंतरिक ड्राइवर के कारण Due to Internal Drivers - बाज़ार को समझना Understanding the markets - बाज़ार विविधीकरण / Market diversification - बाज़ार के लिए कीमत निर्धारण Pricing for the market	बाहरी ड्राइवर के कारण Due to External Drivers - बाज़ार तंत्र का प्रकार / Type of Market system - प्रतिस्पर्धी/Competitors - ग्राहक की वरीयताएं Customer preferences - प्रौद्योगिकी/Technology	आंतरिक और बाहरी ड्राइवर दोनों के कारण Due to both Internal & External Drivers - ग्राहक की अपेक्षाएं / Customer expectations - ब्रांड जोखिम / Brand Risk
सायबर सुरक्षा जोखिम Cyber security Risks	- आईटी सिस्टम की विफलता Failure of IT systems - सुरक्षा लंघन / security breach - अनधिकृत एक्सेस Unauthorized access - प्रिविलेज क्रीप / Privilege creep. - पहुंच समझौता/ Access Compromise	- सायबर हमले / Cyber attacks - डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेस distributed denial of service (DDoS) - मालवेयर / कंप्यूटर वायरस, फिशिंग हमले आदि Malware/computer viruses , Phishing attacks, etc	- सायबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियां जो सायबर धोखाधड़ी का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं / Cyber security technologies lagging behind cyber frauds - कारोबारी प्रक्रिया में प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के कारण सायबर सुरक्षा जोखिम / Cyber security risks due to convergence of technologies in Business processes - आपूर्ति कड़ी में सायबर सुरक्षा लंघन / Breach in cyber security in the supply chain

जोखिम का प्रकार Type of Risk	आंतरिक ड्राइवर के कारण Due to Internal Drivers	बाहरी ड्राइवर के कारण Due to External Drivers	आंतरिक और बाहरी ड्राइवर दोनों के कारण Due to both Internal & External Drivers
उद्यम जोखिम Enterprise Risks	- आर एंड डी निवेश / R&D Investments - बौद्धिक पूंजी / Intellectual Capital - परिसंपति उपयोगिता / Asset utilization - नियंत्रण / प्रक्रियाएं Controls/Procedures - प्रणालियां और प्रक्रियाएं Systems & processes	- प्रतिस्पर्धा / Competition - उद्योग परिवर्तन / Industry changes - बाज़ार / अर्थव्यवस्था Market/Economic - सरकारी नीतियाँ / Govt policies	- एम एंड ए एकीकरण / M&A Integration - साझेदारियां / Partnerships - मुकदमे / माध्यस्थम Litigation/Arbitration
वित्तीय जोखिम Financial Risks	- चलनिधि / Liquidity - कराधार का उपचार / विदेशी मुद्रा विनिमय / Treatment of Taxation/ Foreign Exchange - बीमा / Insurance	- मुद्रास्फीति / Inflation - ब्याज दरें / Interest Rates - साझेदार / पणधारकों की क्रेडिट विश्वसनीयता / Credit worthiness of Partner/Stakeholders - भू-राजनीतिक विकास / Geo political Developments - विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन / Foreign Exchange Rate variations	निवेशों पर प्रतिफल Return on Investments
मानव संसाधन जोखिम Human Resources Risk	- संगठन की संस्कृति Organization Culture - कर्मचारी संबंध / Employee relations	- सामाजिक संस्कृति / Societal culture - प्रतिभा की मांग / Demand for Talent	- जन आकांक्षाएं / People's aspirations - भर्ती / संघर्षण Recruitment/Attrition

जोखिम का प्रकार Type of Risk	आंतरिक ड्राइवर के कारण Due to Internal Drivers - प्रतिभा धारण/Talent retention - क्षमता/कौशल की कमी /	बाहरी ड्राइवर के कारण Due to External Drivers	आंतरिक और बाहरी ड्राइवर दोनों के कारण Due to both Internal & External Drivers
	Competency /Skill Gap	~ , , ,	
पर्यावरण, समाज, गवर्नेस संबंधी	- किसी कच्चे माल / प्रक्रिया का उपयोग जिसका पर्यावरण पर	- आपूर्ति कड़ी में कामगारों के अधिकारों का हनन (विक्रेता / उप ठेकेदारों के	
Environment, Social, Governance Related	प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है - Use of any raw material / process which may negatively impact the environment - कामगारों / कर्मचारियों के अधिकारियों का हनन - Violation of rights of workmen/employees - महत्वपूर्ण जोखिम आदि	दायित्व के तहत आने वाले अधिकारों सहित) - Violation of rights of workmen in the supply chain (including those under vendor's / sub contractor's responsibility) - उद्योग की पद्धतियों / नियामक आवश्यकताओं में परिवर्तन	पर्यावरणीय और श्रम कानून Environmental and Labour Laws.
	का गैर-प्रकटण Non-disclosure of Material Risks etc	- Changes in Industry practices/ regulatory requirements	

5.3 जोखिम का विवरण / Risk Description

5.3.1 अभिचिहिनत जोखिम को जोखिम आकलन सुकर बनाने के लिए संरचित ढंग से प्राप्त किया जाना। इस प्रयोजनार्थ, कार्यशील निदेशक या सीआरएमसी द्वारा अनुमोदित, सीआरएमसी द्वारा समय-समय पर अद्यतन और प्रयुक्त "प्रारूप" का उपयोग किया जाएगा।

Identified risks are to be captured in structured manner to facilitate the risk assessment. "Format" as updated from time to time by CRMC; and issued with due approval of Functional Director or CRMC, will be used for this purpose.

Risk Probability Almost Rare Unlikely Possible Likely Certain Risk Impact (1) (2)(3)(5)Very High (5) 10 High (4)4 8 12 16 Medium (3)6 9 12 15

Risk Score Matrix

6

10

5.4 जोखिम का प्राक्कलन / Risk Estimation

(2)

(1)

Low

Very Low

5.4.1 जोखिमों के घटित होने तथा उनके संभावित परिणामों के परिप्रेक्ष्य में यह मात्रात्मक, अर्ध-मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकता है। यह "जोखिम आकलन" निम्नलिखित जोखिम मैट्रिक्स के आधार पर किया जाना है और जोखिम की रिपोर्टिंग कार्यशील निदेशक अथवा सीआरएमसी के विधिवत् अनुमोदन के साथ सीआरएमसी दवारा जारी "प्रारूप" में किया जाएगा।

This can be quantitative, semi-quantitative or qualitative in terms of occurrence and possible consequences. This "*Risk Estimation"* is to be carried out based on the following Risk Matrix and risk reporting shall be as per "**Format**" issued by CRMC with due approval of Functional Director or CRMC.

5.5 जोखिम प्रवृत्ति ढांचा / Risk Appetite framework:

जोखिम प्रवृत्ति को जोखिम की ऐसी मात्रा और प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेने के लिए तैयार है। जोखिम प्रवृत्ति समग्र जोखिम है जिसे संगठन

दी गई जोखिम रूपरेखा में वहन कर सकती है जिसे सामान्यत: कुल परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया जाता है। यह संगठन की अपेक्षाकृत अधिक अवधि की रणनीति होती है।

Risk appetite can be defined as the amount and type of risk that an organization is willing to take in order to meet its objectives. Risk appetite is the total risk that the organization can bear in a given risk profile, usually expressed in aggregate terms. It refers to a longer term strategy of the organization.

संगठन की दृष्टि, रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास में जोखिम की अधिक मात्रा स्वीकार और प्रोत्साहित करते समय, पर्यावरण, सायबर खतरों आदि से संबंधित जोखिम का एक्सपोज़र कम करने के प्रयास किए जाएंगे। यह माना जाता है कि जोखिम की प्रवृत्ति किए जाने वाले कार्यों के अनुसार अलग-अलग होती है और यह कि जोखिम को स्वीकार करने में उसके संभावित हितलाभ और जोखिम को कम करने के उपाय लागू करने को विचार में लिया जाएगा।

Efforts shall be made to minimize exposure to risks relating to environment, cyber threats etc; while accepting and encouraging an increased degree of risk in pursuit of its vision and strategic goals and objectives. It is recognized that appetite for risk varies according to the activity undertaken, and that acceptance of risk will be taking into consideration the potential benefits and deployment of measures to mitigate the risk.

एसबीयू / यूनिट प्रमुखों के संबंध में तथा कार्पोरेट स्तर आदि के लिए विभिन्न कार्यशील क्षेत्रों / कारोबारी गतिविधियों हेतु ऊपरी स्तर / सीमाएं सीएमडी / मंडल (यथा संशोधित) द्वारा अनुमोदित, शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा शक्तियों के उप-प्रत्यायोजन के अनुसार होंगे।

The threshold levels/limits for various functional areas/business activities in respect of SBU/Unit heads, and for Corporate level etc shall be as per the Delegation of Powers and Sub delegation of Powers, as approved by the CMD/Board(as amended).

5.6 जोखिम आकलन / Risk Evaluation

5.6.1 जोखिम और अवसर दोनों के परिप्रेक्ष्य में जोखिम के परिणामों को वर्गीकृत किया जाए। इसके लिए कार्यशील निदेशक या सीआरएमसी द्वारा अनुमोदित सीआरएमसी द्वारा जारी "**प्रारूप**" का उपयोग किया जाए। इस प्राक्कलन का उपयोग जोखिम उपचार से जुड़ी लागत और प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जोखिमों की प्राथमिकता तय करने के लिए किया जा सकता है।

Consequences of the risk, both in terms of threats and opportunities may be categorized. "Format" issued by CRMC with due approval of Functional Director or CRMC may be used.

This estimation can be used to prioritize the risks in conjunction with the cost and efforts associated with the risk treatment.

5.7 सुधार की संभाव्यता / Potential for Improvements

5.7.1 जोखिम आकलन हो जाने पर और सुधार करने का निर्णय लिए जाने पर, संभावित सुधार का संक्षिप्त विवरण, संभावित जोखिम और अवसर, सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई, रणनीति और नीति विकास संबंधी कार्य पूरे किए जाएंगे। रणनीति और नीति विकास जोखिम क्षेत्र से संबंधित प्रकार्य द्वारा किया जाएगा।

Once risk evaluation is done and it is decided to go for improvements then, a brief description of the improvements envisaged, potential threats and opportunities, actions required for improvements, strategy and policy development; need to be addressed. The strategy and policy development is to be taken up by the function related to the risk area.

5.8 रणनीति और नीति विकास / Strategy and Policy Deployment

जोखिम उपचार की रणनीति और नीति विकसित और स्वीकृत होने पर, इसे परिनियोजित करना होगा। इसमें अधिक प्रभावशीलता के लिए नव-अभिचिह्नत जोखिमों या परिशोधित रणनीति तथा पहले से अभिचिह्नित जोखिमों के लिए नीति विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी।

Once strategy and policy for risk treatment is developed and accepted, the same is required to be deployed. This will address newly identified risks or revised strategy and policy deployment for already identified risks for increased effectiveness.

5.9 निगरानी और समीक्षा / Monitoring and Review

रणनीति और नीति विकास के तहत, प्रक्रिया के स्वामी प्रबंधन की समीक्षा हेतु जोखिम प्रभावशीलता, मापन, विफलताएं और सफलता की परिमापियों को आवधिक रूप से पेश करेंगे।

As part of strategy and policy deployment, the process owner will periodically present parameters for risk effectiveness, measurement, failures and success for review by Management.

5.10 आरएम प्रक्रिया और फ्लो चार्ट **अनुलग्नक-ए** में दिए गए हैं।

The RM process and flow charts are given at **Annexure-A**.

6.0 जोखिम प्रबंधन (आरएम) का आयोजन / Organization for Risk Management (RM)

6.1 बीईएल की देश भर में 9 यूनिटें हैं। इन यूनिटों के अपने संबंधित प्रमुख कारोबारी क्षेत्र, अवसंरचना और पास-पड़ोस हैं। ये यूनिटें/एसबीयू जोखिमों के अभिचिहनन, जोखिम प्रशमन उपायों के कार्यान्वयन आदि की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं। बहरहाल, यूनिट / एसबीयू-विशिष्ट जोखिमों के अतिरिक्त, ऐसे कुछेक जोखिम हमेशा रहेंगे जो समग्र रूप से कंपनी को प्रभावित करेंगे और कार्पोरेट स्तर पर एक केन्द्रीकृत विधि द्वारा इनसे निपटने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, जोखिम प्रबंधन पहलों के दो वर्गों के लिए नीचे दी गई कार्यप्रणाली का अनुसरण करना होगा-

BEL has 9 Units located across the country. These Units have their respective core business areas/SBUs, infrastructure and neighbourhood. These Units/SBUs can address the entire process of identification of risks, implementation of risk mitigation measures etc. However, in addition to the Unit/SBU-specific risks there will always be some risks which may affect the Company as a whole, and these need to be addressed in a centralized manner at the Corporate level. In view of this, the methodology given below will be followed for the two categories of RM initiatives:

- केन्द्रीकृत जोखिम प्रबंधन पहल/Centralized RM initiatives
- यूनिट/एसबीय्-विशिष्ट जोखिम प्रबंधन पहल / Unit/SBU-specific RM initiatives
- 6.2 जोखिम प्रबंधन की संगठनात्मक संरचना **अनुलग्नक-बी** में दी गई है। The organization structure for RM is given at **Annexure-B.**

7.0 कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) Corporate Risk Management Committee (CRMC)

- 7.1 कार्पोरेट कार्यालय में सीआरएम समिति की भूमिका इनके लिए होगी-The role of CRM Committee at Corporate Office will be to:
 - a. कंपनी को समग्र रूप से समाहित करते हुए जोखिम के क्षेत्रों को अभिचिहिनत और अद्यतन करना। Identify and update areas of risks covering the Company as a whole.
 - b. कंपनी में जोखिम प्रबंधन की वर्तमान स्थिति का आंकलन करना। Assess the current status of RM in the Company.
 - c. जोखिम प्रलेखीकरण और संप्रेषण की प्रक्रिया विकसित करना।

 Develop a process for risk documentation and communication

d. यूआरएमसी / यूआरएमसी के अलावा और कार्पीरेट द्वारा रिपोर्ट किए गए जोखिमों की अर्हता पूरी करना।

Qualify the risks reported by URMCs/Other than URMCs and Corporate

e. अभिचिहिनत जोखिमों के लिए प्रशामन उपायों की सिफारिश करना।

Recommend mitigation measures for the identified risks.

f. इन उपायों के कार्यान्वयन की सिफारिश करना। Recommend the implementation of these measures.

g. इन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। Evaluate the effectiveness of these measures.

h. मंडल समिति / प्रबंधन द्वारा सूचित किए गए जोखिमों का समेकन करना और आरएमसी को प्रस्तुत करना।

Consolidate risks referred by Board committee/s/Management and submit to RMC

- i. प्रत्येक तिमाही में जोखिम प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करना। Review RM status every quarter.
- j. ईआरएम रिपोर्ट तैयार करना और आरएमसी को प्रस्तुत करना। Preparation of ERM report and submission to RMC.

as per LODR/applicable regulations.

- k. एलओडीआर / लागू विनियमों के अनुसार सेबी को प्रस्तुत करने हेतु सचिवालय को सायबर सुरक्षा से संबंधित जोखिमों की स्थिति प्रस्तुत करना। Submit status of risks related to Cyber Security to Secretariat for submission to SEBI
- जोखिम प्रबंधन / रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त टेम्पलेट तैयार करना और उन्हें कार्यशील निदेशक या सीआरएमसी के अनुमोदन से जारी करना
 Formulate suitable templates for risk management/reporting and issue the same
 - with due approval of functional director or CRMC.
- m. आरएमसी और निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ जोखिम नीति का अद्यतन करना, यदि आवश्यक हो।

Take up Updation of Risk policy with the approval of RMC & BoD, as required.

n. मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) द्वारा निर्देशित कोई अन्य कार्य / गतिविधि करना। Carry out any other function/activity as directed by Risk Management Committee (RMC) of the Board. इस कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के अध्यक्ष का स्तर महाप्रबंधक से नीचे का नहीं होगा। प्रबंधन समय-समय पर प्रौद्योगिकी, रणनीतिक योजना, गुणता, अनु. व वि., मा.सं., विपणन एवं वित्त एवं प्रचालन जैसे कार्पोरेट और एसबीयू / यूनिट / आर एंड डी केंद्रों के तहत के सभी प्रमुख कार्यशील क्षेत्रों से सीआरएमसी के अन्य सदस्यों को नामित करेगा। सीआरएमसी के सदस्य महाप्रबंधक स्तर / संबंधित कार्पोरेट कार्यशील क्षेत्र के प्रमुख होंगे। समिति अपनी कार्यों को करने के लिए अतिरिक्त सदस्यों / या बाहय विशेषज्ञों (केवल विशिष्ट पहल के लिए) का सहयोग लिया जा सकता है।

Chairperson of the Corporate Risk Management Committee (CRMC) shall be an executive not below the rank of General Manager. The Management from time to time will nominate the other members of the CRMC drawn from all major functional areas under **Corporate & SBUs/Units/ R&D centres** like Technology, Strategic Planning, Quality, R&D, HR, Marketing, Finance and Operations. The members of the CRMC shall be of General Manager Rank /Head of the respective corporate functional area. The Committee may co-opt additional members / or external experts (only for specific initiatives) to carry out its functions.

8.0 एसबीयू / यूनिटों / सीआरएल/पीडीआईसी/अन्य आर एंड डी केंद्रों / केंद्रीय सेवा ग्रूप (सीएसजी) में जोखिम प्रबंधन समितियाँ

Risk Management Committees at SBUs/Units/CRLs/PDIC/other R&D centres/Central Services Groups (CSG)

8.1 आरएमसी द्वारा यथा अनुमोदित प्रत्येक एसबीयू/यूनिट / सीआरएल/पीडीआईसी, सीएसजी आदि में यूनिट की जोखिम प्रबंधन समिति (यूआरएमसी) होगी ।
Each SBU/Unit/ CRL /PDIC, CSG etc; as approved by RMC shall have a Unit Risk Management Committee (URMC).

इस समिति की भूमिका इनके लिए होगी-

The role of this Committee is to:

- a. एसबीयू/यूनिट/सीआरएल/पीडीआईसी/आर एंड डी केंद्र आदि विशिष्ट जोखिम क्षेत्रों को अभिचिह्नित एवं अद्यतन करना।

 Identify and update SBU/Unit/CRL/PDIC/R&D centre, etc; specific areas of risks.
- b. एसबीयू/यूनिट/सीआरएल/पीडीआईसी/आर एंड डी केंद्र आदि में जोखिम प्रबंधन की चालू स्थिति को निर्धारित करना।

Assess the current status of RM in the SBU/Unit/CRL/PDIC/R&D centre, etc.

- अभिचिहिनत जोखिमों के लिए प्रशामन उपायों की सिफारिश करना।
 Recommend mitigation measures for the identified risks.
- d. शमन उपायों का अनुमोदन प्राप्त करना Seek approval of mitigation measures
- e. अनुमोदित शमन उपायों का कार्यान्वयन Implementation of approved mitigation measures.
- f. इन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। Evaluate the effectiveness of these measures.
- g. प्रत्येक तिमाही में जोखिम प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा करना। Review RM status every quarter.
- h. प्रत्येक तिमाही में जोखिम प्रबंधन की स्थिति के बारे में सीआरएमसी को रिपोर्ट करना। Report to CRMC on the status of RM every quarter.
- i. कार्यान्वयन, निगरानी और जोखिम प्रशमन के उपाय का पर्यवेक्षण करना, सर्वोच्च जोखिमों की रिपोर्टिंग सीआरएमसी/ मंडल की समितियों (यथा लागू) को करना।

 Oversee the implementation, monitoring & risk mitigation measures; reporting of the top Risks to CRMC/ Board Committee/s (as applicable).

एसबीयू / यूनिट / सीआरएल / पीडीआईसी / आर एंड डी केंद्र आदि के संबंधित प्रमुख यूआरएमसी के अध्यक्ष होंगे और यूआरएमसी के सदस्यों को नामित करेंगे जो उत्पादन, गुणता, आर एंड डी, एच आर, विपणन, वित्त तथा अन्य, यथा लागू जैसे सभी प्रमुख कार्यशील क्षेत्रों के प्रमुख होंगे।

The respective Head of SBU/Unit/CRL/PDIC/R&D centre, etc shall be the Chairperson of the URMC and shall nominate the members of the URMC, who shall be the Heads of all major functional areas like Production, Quality, R&D, HR, Marketing, Finance and others; as applicable.

9.0 प्रशमन उपायों का अनुमोदन / Approval of Mitigation Measures

9.1 सीआरएमसी द्वारा संस्तुत जोखिम और प्रशमन उपाय कार्पोरेट जोखिम रजिस्टर (सीआरआर) के भाग होंगे। सीआरएमसी प्रस्तावित प्रशमन उपायों के साथ-साथ आरएमसी को प्रमुख / उल्लेखनीय जोखिमों की रिपोर्ट करेंगे। आरएमसी इसकी समीक्षा करेंगे और प्रशमन उपायों के अनुमोदन हेतु मंडल को इसकी सिफारिश करेंगे।

The risks and mitigation measures recommended by the CRMC shall become part of Corporate Risk Register (CRR). CRMC would report Key/Significant Risks to RMC along with proposed mitigation measures. RMC would review and recommend to the Board for approval of mitigation measures.

9.2 यूआरएमसी द्वारा संस्तुत जोखिम और प्रशमन उपाय यूनिट जोखिम रजिस्टर (यूआरआर) के भाग होंगे। यूआरएमसी प्रस्तावित प्रशमन उपायों के साथ-साथ प्रमुख / उल्लेखनीय जोखिमों की रिपोर्ट सीआरएमसी को करेंगे।

The risks and mitigation measures recommended by the URMC shall become part of Unit Risk Register (URR). URMC would report Key/Significant Risks to CRMC along with proposed mitigation measures.

9.3 अनुमोदित जोखिम प्रशमन उपायों के लिए निधि आवश्यकता, यदि कोई हो, कंपनी में मौजूदा वितीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्सार पूरी की जाएगी।

The fund requirements, if any, for the approved risk mitigation measures shall be met as per the existing financial delegation of powers in the Company.

10.0 जोखिम चैम्पियन / Risk Champions

10.1 कार्पोरेट जोखिम चैम्पियन / Corporate Risk Champion

10.1.1 कार्पोरेट जोखिम चैम्पियन (सीआरसी) जीएम / कार्पोरेट प्रकार्य विभाग के प्रमुख की श्रेणी से नीचे के कार्यपालक नहीं होंगे जिन्हें सीआरएमसी गठन के दौरान प्रबंधन द्वारा नामित किया जाएगा। सीआरसी के कार्य इस प्रकार होंगे-

Corporate Risk Champion (CRC) shall be an executive not below the rank of GM/Head of a Corporate Functional Department, to be nominated by the Management during the constitution of CRMC. The functions of CRC shall be to:

- (i) कार्पोरेट जोखिमों की पहचान के लिए सीआरएमसी सदस्यों के साथ जुड़ना और समन्वय करना और सभी कार्पोरेट कार्यात्मक क्षेत्रों को शामिल करते हुए (प्रक्रिया स्वामी के परामर्श से) शमन उपायों का सुझाव देना।
 - To engage and coordinate with CRMC members for identification of corporate risks and suggest mitigation measures (in consultation with process owners), encompassing all corporate functional areas.
- (ii) यूआरएमसी आदि द्वारा संदर्भित जोखिमों के लिए उचित शमन उपायों को तैयार करने के लिए सीआरएमसी के साथ समन्वय करें।
 - Coordinate with CRMC to devise appropriate mitigation measures for the Risks referred by URMCs etc.
- (iii) स्वीकृत जोखिम न्यूनीकरण उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूआरएमसी और प्रक्रिया स्वामियों के साथ समन्वय करें।
 - Co-ordinate with URMCs and Process Owner(s) for the effective implementation of the approved risk mitigation measures.
- (iv) हां भी आवश्यक समझा जाए, सीआरएमसी/प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगें। Seek clarification from CRMC/Management wherever deemed necessary.
- (v) सीआरएमसी/प्रबंधन/वैधानिक आवश्यकताओं के लिए, जो भी लागू हो, समय-समय पर रिपोर्ट दें। Give periodical reports to CRMC/Management/for statutory requirements, as applicable.
- 10.1.2 एक वरिष्ठ कार्यकारी जो एजीएम के पद से नीचे का नहीं होगा, या जैसा कि अध्यक्ष सीआरएमसी द्वारा तय किया गया है, वह सीआरएमसी का सदस्य सचिव होगा।

 A senior executive not below the rank of AGM, or as decided by chairperson CRMC

A senior executive not below the rank of AGM, or as decided by chairperson CRMC shall be the Member Secretary of the CRMC.

10.2 यूनिटों में जोखिम चैम्पियन / Risk Champions at Units

10.2.1 एसबीयू/यूनिट/आर एंड डी केंद्र के आकार और प्रचालनों की प्रकृति पर निर्भर करते हुए, संबंधित एसबीयू / यूनिट / आर एंड डी केंद्र के प्रमुखों द्वारा नामित किए जाने वाले यूनिट जोखिम चैम्पियन (यूआरसी) अपर महाप्रबंधक स्तर के कार्यपालक होंगे। यूआरसी के कार्य इनके लिए होंगे-

Depending on the size and nature of operations of the SBU/Unit/R&D centre, the Unit Risk Champion (URC) shall be an executive at the level of AGM, to be nominated by the respective SBU/Unit/R&D centre Head. The functions of URCs shall be to:

- (i) जोखिम प्रशमन उपायों के लिए संबंधित एसबीयू/यूनिट/आर एंड डी केंद्र प्रमुख/प्रबंधन/मंडल सिमिति/मंडल, यथा लागू से से अनुमोदन प्राप्त करना।

 Obtain approval of risk mitigation measures from the respective SBU/Unit/R&D centre Head/Management/Board Committee/Board, as applicable.
- (ii) अनुमोदित जोखिम प्रशामन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रक्रम के स्वामी (स्वामियों) के साथ समन्वयन करना।
 - Co-ordinate with the Process Owner(s) for the effective implementation of the approved risk mitigation measures.
- (iii) जहाँ कहीं आवश्यक समझा जाए, यूआरएमसी / यूनिट प्रमुख से स्पष्टीकरण लेना। Seek clarification from URMC/Unit Head wherever deemed necessary.
- (iv) सीआरएमसी/मंडल समिति/मंडल को यथा लागू आवधिक रिपोर्ट देना। Give periodical reports to CRMC/ Board Committee/s/Board, as applicable.
- 10.2.2 यूआरसी, यूआरएमसी के सदस्य सचिव होंगे।

 The URC shall be the Member Secretary of the URMC.
- 11.0 जोखिम प्रबंधन पहल / कार्यक्रमों की समीक्षा

 Review of Risk Management Initiatives/Programs
- 11.1 यूनिट की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा (यूआरएमसी)

 By the Unit Risk Management Committee (URMC)
- 11.1.1 यूआरएमसी तिमाही आधार पर आरएम द्वारा की गई पहलों / प्रोग्राम की प्रगति की समीक्षा करेगी। इस समीक्षा में समय अनुसूची, उद्देश्य प्राप्ति की सीमा, प्रस्तावों की स्थायी स्थिति और पणधारकों की प्रतिपुष्टि शामिल होगी। यूआरएमसी सीआरएमसी / आरएमसी / मंडल के निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करेगी।

The URMC will review the progress of the RM initiatives/programs on a quarterly basis. The review would cover the time schedules, extent of achievement of the objectives ,sustainability status of the proposals and feedback of stakeholders. The URMC shall also review the progress of implementation of directions of CRMC/RMC/Board.

11.1.2 सिमिति यूआरएमसी द्वारा पहचाने गए शीर्ष 5 जोखिमों को शामिल करते हुए सीआरएमसी को एक रिपोर्ट (मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए) प्रस्तुत करेगी। सीआरएमसी द्वारा जारी किया गया "प्रारूप" (कार्यात्मक निदेशक या सीआरएमसी के उचित अनुमोदन के साथ) का उपयोग किया जाना है। यह रिपोर्ट यूआरसी द्वारा सीआरएमसी को भेजी जाएगी।

The committee shall submit a report (for quarters ending March, June, September and December) to CRMC covering the top 5 Risks identified by the URMC. "Format" issued by CRMC (with due approval of Functional Director or CRMC) to be used. This report shall be sent by the URC to CRMC.

11.2 कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा By the Corporate Risk Management Committee (CRMC)

11.2.1 सीआरएमसी तिमाही आधार पर जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलों / कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन और समीक्षा करेंगे। यूआरसी/सीआरसी से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, सीआरएमसी जोखिमों की समीक्षा करेंगे और उनकी अर्हता तय करेंगे। अनुशंसित शमन उपायों के साथ सीआरएमसी द्वारा योग्य जोखिमों की सूचना आरएमसी को दी जाएगी।

The CRMC shall assess and review the progress of the RM initiatives/programs on a quarterly basis. Based on the reports received from the URCs/CRC, CRMC shall review & qualify the risks. Risks qualified by CRMC along with recommended mitigation measures shall be reported to RMC.

सीआरएमसी मंडल समिति/प्रबंधन द्वारा संदर्भित जोखिमों को समेकित भी करेंगे और शमन उपायों की समीक्षा और सिफारिश के लिए आरएमसी को प्रस्तृत करेंगे।

CRMC would also consolidate the Risks referred by Board Committee/s/Management and submit to RMC for review and recommendation of mitigation measures.

11.2.2 सीआरएमसी चालू केन्द्रीकृत जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलों /कार्यक्रमों (ईआरएम प्रशिक्षम सिहत) की निरंतरता या अन्यथा और नए केन्द्रीकृत जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलों के अभिचिहनन एवं अंगीकरण की समीक्षा भी करेंगे।

The CRMC shall also review the continuation or otherwise of the ongoing centralized RM initiatives/programs (including ERM training) and identification and adoption of new centralized RM initiatives.

11.3 निदेशक मंडल द्वारा / By the Board of Directors

11.3.1 निदेशक मंडल मंडल और मंडल की अन्य समितियों, यथा लागू द्वारा गठित 'जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)' के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा और निगरानी करेगा।

The Board of Directors will review and monitor the status of Risk Management through the 'Risk Management Committee (RMC)' constituted by the Board and other Committees of the Board, as applicable.

जोखिम प्रबंधन समिति को निम्नलिखित भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियों सौंपी जाती हैं – Risk Management Committee is entrusted with the following roles and responsibilities:

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की भूमिका एवं जिम्मेदारी— Role and Responsibilities of the Risk Management Committee (RMC):

- a. <u>विशेष रूप से कंपनी के जोखिम प्रोफाइल और जोखिमों के प्रमुख क्षेत्रों का आकलन करना</u>
 Assess the Company's risk profile and key areas of risks in particular
- b. <u>कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक ढांचा स्थापित करना और कंपनी-व्यापी कार्यान्वयन</u> सुनिश्चित करना
 - <u>Establish a frame work for the Company's Risk Management process and to ensure Company-wide implementation</u>
- c. सुनिश्चित करना कि जिम्मेदारी और प्राधिकरण स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं

 Ensure that responsibility and authorities are clearly defined and adequate resources are assigned to implement the Risk Management Policy
- d. <u>जोखिम दस्तावेजीकरण और संचार के लिए एक प्रक्रिया विकसित करना</u>

 <u>Develop a process for risk documentation and communication</u>

- e. प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की रिपोर्टिंग और प्रबंधन के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की जांच और निर्धारण करना
 - Examine and determine the sufficiency of the Company's internal processes for reporting and managing key risk areas
- f. <u>जोखिम प्रबंधन प्रणाली की गुणता, अखंडता और प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करना।</u>

 Review and assess the quality, integrity and effectiveness of the Risk Management System.
- g. कंपनी के भंडार, बीमा कवरेज, सरकारी नीतियों या ऐसी अन्य वितीय संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी की जोखिम वहन क्षमता की समीक्षा करना और अनुमोदन के लिए बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
 - To review the risk bearing capacity of the Company taking into consideration its reserves, insurance coverage, Government Policies or other such financial structures and give its recommendations to Board for approval.
- h. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समय-समय पर कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समीक्षा करेगी, जिसमें साइबर सुरक्षा जोखिमों से संबंधित शामिल हैं और यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनी चालू और नए कारोबारी गतिविधियां दोनों में जोखिम और इनाम के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय कर रही है।
 - The Risk Management Committee (RMC) shall periodically review the risk management processes and practices of the Company, including those related to Cyber security Risks and ensure that the Company is taking appropriate measures to achieve prudent balance between risk and reward in both ongoing and new business activities.
- i. कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)/मंडल की अन्य समितियों/प्रबंधन या कंपनी के किसी अन्य विभाग द्वारा रिपोर्ट किए गए जोखिमों की समीक्षा करने के लिए, जिनमें साइबर सुरक्षा जोखिमों से संबंधित जोखिम शामिल हैं और शमन उपायों की सिफारिश करना (यथा लाग्)।

 To review the risks reported by Corporate Risk Management Committee (CRMC)/other Board Committees/Management or any other dept. of the Company, including those related to cyber security risks and recommend mitigation measures (as applicable).

j. <u>उन जोखिमों की रिपोर्ट करने के लिए जो संचालन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं या जो कंपनी के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं या जहां भी मंडल के साथ विचार-विमर्श और अनुमोदन के बाद आवश्यक समझा जाए।</u>

To report risks which may significantly impact the operations or which may threaten the existence of the company or wherever deemed necessary, to the Board for further deliberation and approval.

k. किसी आंतरिक रिपोर्ट जैसे ऑडिट/सतर्कता रिपोर्ट आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा संदर्भित मुद्दों की समीक्षा करना।

To review issues referred by Management in respect of any internal reports such as Audit /vigilance reports etc.

 आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की प्रभावशीलता पर निगरानी रखें और निगरानी करना।

Maintain oversight and monitor the effectiveness of internal controls and risk management activities.

m. <u>जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के पास अपनी निरीक्षण भूमिका को पूरा करने के लिए</u> आवश्यक किसी भी आंतरिक जानकारी तक पहुंच हो सकती है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के पास आंतरिक या बाहरी कानूनी, लेखा या अन्य सलाहकारों से सलाह और सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा।

The Risk Management Committee (RMC) may have access to any internal information necessary to fulfill its oversight role. The Risk Management Committee (RMC) shall also have authority to obtain advice and assistance from internal or external legal, accounting or other advisors.

n. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) कार्यकारी निदेशकों से समाविष्ट उप-समिति को अपने कोई भी कार्य/भूमिका/जिम्मेदारियां सौंप सकती है।

The Risk Management Committee (RMC) may form and delegate any of its function/roles/ responsibilities to sub-committee(s) consisting of Functional Directors".

0. <u>जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) सलाह के लिए किसी भी मामले को अन्य मंडल समिति को संदर्भित कर सकती है या अन्य मंडल समिति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी सलाह/सिफारिशें</u>

प्रदान कर सकती है, यदि आवश्यक हो और आगे निर्णय के लिए मंडल को सिफारिश कर सकती है, जैसा कि यह उचित लग सकता है।

The Risk Management Committee (RMC) may refer any matter to other Board Committee/s for its advice or offer its advice/recommendations on matters referred to it by other Board Committee/s, if required and further recommend to the Board for decision, as it may deem fit.

p. <u>जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में ऐसी अन्य मदें शामिल</u> होंगी जो लागू कानून या बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अनुपालन में निर्धारित की जा सकती हैं।

The roles and responsibilities of the Risk Management Committee (RMC) shall include such other items as may be prescribed by applicable law or the Board in compliance with applicable law, from time to time.

12.0 जोखिम प्रबंधन की रिपोर्ट करना /Risk Management Reporting

- 12.1 कंपनी में जोखिम प्रबंधन की रिपोर्ट इस प्रकार की जाएगी-The reporting of RM in the Company shall be as follows:
 - a) आरएम पहलों पर आंतरिक रिपोर्टिंग यूआरएमसी द्वारा सीआरएमसी द्वारा जारी किए गए "प्रारूप" के अनुसार की जाएगी (कार्यकारी निदेशक या सीआरएमसी के अनुमोदन से)
 Internal reporting on RM initiatives shall be done by the URMCs as per "Format/s" issued by CRMC (with the approval of functional director or CRMC)
 - b) बाहरी रिपोर्टिंग के लिए केवल सीआरएमसी ही आवश्यक रिपोर्ट आदि तैयार करेगा। Only CRMC shall prepare necessary reports, etc for external reporting.
 - c) यूआरएमसी द्वारा बाहरी रिपोर्टिंग, यदि आवश्यक हो, सीआरएमसी के परामर्श से की जाएगी। External reporting by URMC, if required, shall be done in consultation with the CRMC.
 - d) यूआरएमसी यूनिट में जोखिम प्रबंधन की स्थिति पर प्रत्येक तिमाही सीआरएमसी को रिपोर्ट करेंगे। URMC shall report to CRMC every quarter on the status of RM in the Unit.

e) सीआरएमसी निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (आरएमसी) को हर छह महीने में एक बार या आवश्यकतानुसार रिपोर्ट करेगी। "कार्यकारी निदेशकों" द्वारा विधिवत् अनुमोदित सीआरएमसी की रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के समक्ष रखा जाएगा। CRMC shall report to the Board level committee (RMC) appointed by the Board of Directors, once in every six months or as would be required. CRMC's report duly approved by the "Functional Directors" will be placed before the Risk Management Committee of the Board (RMC).

13.0 जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन /Implementation of Risk Management

13.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्पोरेट रणनीति तथा प्रचालनात्मक उद्देश्यों के साथ एकीकृत एवं संरेखित होगी और संगठन में संबंधित कर्मचारियों / स्टाफ के साथ समुचित बातचीत द्वारा कार्यान्वित होगी। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समयों में एक पृथक कार्य के रूप में न होकर सामान्य कारोबारी पद्धित के भाग के रूप में निष्पादित की जाएगी।

RM System shall be integrated and aligned with the corporate strategy and operational objectives and will be implemented by suitable interaction with concerned employees/staff in the organization. RM shall be undertaken as a part of normal business practice and not as a separate task at set times.

नोट- मंडल स्तरीय समिति की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व रेखांकित पाठ द्वारा दर्शाए गए हैं।

Note: Roles and Responsibilities of the Board Level Committee are indicated by **underlined Text.**

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट Risk Management Process Flow Chart

1.0 यूनिट-विशिष्ट जोखिम प्रबंधन पहल / Unit-specific Risk Management Initiatives

- 1.1 आकृति 1 में दिया गया प्रवाह चार्ट यूनिट स्तरीय जोखिमों के लिए प्रक्रिया प्रवाह दर्शाता है। The flow chart at **Figure 1** gives the process flow for Unit level risks.
- 1.2 विभाग/प्रभाग/आर एंड डी केंद्र आदि में लाइन मैनेजर(एस)/प्रोजेक्ट मैनेजर(एस) जोखिमों की पहचान करते हैं और सीआरएमसी (कार्यात्मक निदेशक या सीआरएमसी के अनुमोदन के साथ) द्वारा जारी किए गए "प्रारूप" में उन्हें दर्ज करते हैं। इन सभी जोखिमों को एसबीय्/यूनिट/आर एंड डी केंद्र/यूआरएमसी स्तर पर समेकित किया जाता है और कार्य के प्रक्रिया स्वामी पहले स्तर की जांच करते हैं जहां जोखिम की सूचना दी जाती है।
 - Line Manager(s)/Project Manager(s) in a department/ division/R&D centre,etc identify the risks and capture the same in "**Formats**" issued by CRMC (with the approval of functional director or CRMC). All these risks are consolidated at SBU/Unit/R&D centre/URMC level and the Process Owner (s) of the function does first level scrutiny where the risk is reported.
- 1.3 इसके अतिरिक्त जोखिमों का प्रक्रम स्वामी के साथ-साथ यूनिट जोखिम चैम्पियन (यूआरसी) द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। जोखिमों को यूनिट-विशिष्ट अथवा उद्यम स्तर के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।
 - Risks are further evaluated by the Unit Risk Champion (URC) along with Process Owner(s). Risks are identified as Unit-specific or Enterprise level.
- 1.4 यूआरसी और प्रक्रिया स्वामी लाइन प्रबंधक/पिरयोजना प्रबंधक द्वारा दिए गए जोखिम के विवरण की समीक्षा करते हैं, और उचित समीक्षा और अद्यतन के बाद यूनिट जोखिम प्रबंधन समिति (यूआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है, जो आगे समीक्षा करती है और यदि आवश्यक हो तो उसमें निहित जानकारी को अद्यतन करता है और अन्शंसित शमन उपायों का स्झाव देता है।

URC and Process Owner(s) review the details of the Risk given by the Line Manager(s)/ Project Manager(s), and after due review and updation is put up to Unit Risk Management Committee (URMC); which further reviews and updates the information contained therein, if required and suggests recommended mitigation measures.

1.5 जिन जोखिमों के लिए अनुशंसित शमन उपाय यूआरएमसी अध्यक्ष की अनुमोदन सीमा के भीतर हैं, उन्हें अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जिन जोखिमों के लिए प्रस्तावित शमन उपाय यूआरएमसी-अध्यक्ष की अनुमोदन सीमा से परे हैं, उन्हें प्रबंधन/मंडल समिति/मंडल (यथा लागू) के समक्ष अनुमोदन के लिए जोखिम स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

Risks for which recommended mitigation measures are within the approval limit of URMC Chairperson will be approved by the chairperson. Risks for which the proposed mitigation measures are beyond the approval limit of URMC- chairperson, are put-up to the management/Board Committee/Board (as applicable), by the Risk Owner for approval.

1.6 यूनिट-विशिष्ट के रूप में अभिचिहिनत जोखिमों की जिम्मेदारी प्रक्रिया स्वामी की होगी, और यूआरसी प्रक्रिया स्वामी को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग करेगा। इसी तरह, उद्यम स्तर पर अभिचिहिनत जोखिमों की भी जिम्मेदारी प्रक्रिया स्वामी की होगी और यूआरसी सीआरएमसी के समन्वय से प्रक्रिया स्वामी को उनकी जिम्मेदारी के निर्वहन में सहयोग करेगा। यूआरसी के समर्थन से प्रक्रिया स्वामी अनुमोदित शमन उपायों को लागू करेगा और सीआरएमसी को स्थिति की रिपोर्ट करेगा।

Risks identified as Unit-specific will be the responsibility of the Process Owner(s), and the URC will support the Process Owner(s) in discharging his responsibility. Similarly, risks identified as Enterprise level will also be the responsibility of the Process Owner(s) and the URC in coordination with CRMC will support the Process Owner(s) in discharging his responsibility. Process Owner with support from URC shall implement the approved mitigation measures and report the status to CRMC.

1.7 कुछ मामलों में, यूआरएमसी विशिष्ट जोखिमों को दूर करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय ले सकती है। ऐसे मामलों में प्रक्रिया स्वामी और समिति यूआरसी के साथ काम करेंगे।

In certain cases, the URMC may decide to constitute a Committee to address specific risks. In such cases the Process Owner and the Committee will work with the URC.

- 1.8 प्रक्रिया स्वामी और यूआरसी निर्णय के अनुसार आवधिक डेटा एकत्रित करेंगे। यह कार्यकारी निदेशक या सीआरएमसी के उचित अनुमोदन के साथ सीआरएमसी द्वारा जारी किए गए "प्रारूप" में, तिमाही समीक्षा के लिए यूआरएमसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

 Process Owner(s) and URC will collect periodic data, as decided. This will be presented to the URMC for quarterly review, using "Format" issued by CRMC with due approval of Functional director or CRMC.
- 1.9 यूआरएमसी द्वारा अभिचिहिनत प्रमुख पांच (मुख्य/उल्लेखनीय जोखिम) जोखिम, तिमाही समीक्षा के बाद सीआरएमसी द्वारा जारी "प्रारूप" (कार्यकारी निदेशक या सीआरएमसी के अनुमोदन के साथ) में आगे की प्रक्रिया और रिपोर्टिंग के लिए कार्पोरेट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) को सूचित किया जाएगा।

Top five (key/significant risks) risks identified by URMC, after quarterly review will be reported to the Corporate Risk Management Committee (CRMC) using "Format" issued by CRMC (with the approval of functional director or CRMC); for further processing and reporting.

2.0 कार्पोरेट स्तरीय जोखिम प्रबंधन पहल / Corporate Level Risk Management Initiatives

2.1 आकृति-2 में दिया गया क्रमदर्शी चार्ट कार्पोरेट स्तरीय जोखिमों के लिए प्रक्रिया का क्रम प्रदान करता है।

The flow chart at Figure 2 gives the process flow for Corporate level risks.

2.2 कार्पोरेट स्तर में, एसबीयू/यूनिट/आर एंड डी केंद्र/यूआरएमसी द्वारा रिपोर्ट किए गए जोखिम तथा कार्पोरेट कार्यालय में प्रक्रम स्वामी (स्वामियों) द्वारा रिपोर्ट किए गए जोखिम सीआरसी समीक्षा की जाएगी। कंपनी में अन्य प्रबंधक, जो कोई यूआरएमसी के भाग नहीं है, भी सीआरएमसी को जोखिम रिपोर्ट किया जा सकता है। इसे सीआरसी द्वारा समेकित किया जाएगा और प्रक्रम स्वामी (स्वामियों) व सीआरसी द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।


At the Corporate level, Risks reported by SBUs/Units/R&D centres/URMCs and those reported by Process Owner(s) at Corporate Office and the CRC will be reviewed. Other Managers in the Company, who are not part of any of the URMC, can also report the

risks to CRMC. These will be consolidated by the CRC and will be reviewed by the Process Owner(s) and the CRC.


इन जोखिमों की समीक्षा के बाद, इसे सीआरएमसी को प्रस्तुत किया जाएगा जो आगे जोखिमों की समीक्षा करेगा और उन्हें योग्य बनाएगा। सीआरएमसी द्वारा योग्य जोखिम कार्पोरेट जोखिम रजिस्टर (सीआरआर) का हिस्सा बन जाएगा। सीआरएमसी समीक्षा और सिफारिश के लिए आरएमसी को प्रमुख/महत्वपूर्ण जोखिमों की रिपोर्ट करेगा। आरएमसी द्वारा सिफारिश और मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद, जोखिम के प्रकार के आधार पर यानी यूनिट-विशिष्ट या उद्यम स्तर पर, प्रक्रिया के स्वामी और सीआरसी या एसबीय/यूनिट/आर एंड डी केंद्र आदि द्वारा कार्यान्वयन के लिए शमन उपाय किए जाएंगे।

After review of these Risks, the same will be put up to the CRMC which would further review and qualify the Risks. Risks Qualified by CRMC shall become part of Corporate Risk Register (CRR). CRMC will report key/significant Risks to RMC for review and recommendation. After recommendation by RMC and approval by Board, the mitigation measures will be taken up for implementation by the Process Owner(s) and CRC or SBU/Unit/R&D centre, etc depending on the type of the risk, i.e., Unit-specific or Enterprise level.

एसबीय्/यूनिट/आर एंड डी केंद्र स्तर में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का प्रवाह चार्ट Flow Chart of Risk Management Process at SBU/Unit/R&D centre Level



जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का क्रमदर्शी चार्ट कार्पोरेट स्तरीय Flow Chart of Risk Management Process Corporate Level



आकृति 2 / Figure 2

अनुलग्नक बी / Annexure B

जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना Organisation Structure for Risk Management

